

असाधारण EXTRAORDINARY

भागः 11---खण्ड 3--जण-खण्ड (i) PART II--Section 3--Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

# सं. 178] नई विल्ली, बुधवार, मई 1, 1991/वैगाख 11, 1913 No. 178] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 1, 1991/VAISAKHA 11, 1913

इस भाग में भिन्न पूष्ठ संख्या दी जाती ही जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

#### (पत्तन पक्ष)

#### प्रधिसूचना

#### नई दिल्ली, 1 मई, 1991

सा.का.नि. 250(म) .--महापत्तन (प्रदूषण नियारण और नियंक्षण) नियम 1990 का प्रारूप, भारतीय पत्तन मधिनियम 1908 (1908 का 15) की धारा 6 की उपधारा 2 के म्रापेक्षानुसार, भारत सरकार के अल-भूतल परिवहन मंत्रालय की मधिसूचना सं. सा.का.नि. 995(म्र) सारीख 21-12-90 में प्रकाशित किया गया था, जिसमें ऎसे सभी व्यक्तियों से चिकके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उक्त मधिसूचना के राजपत में प्रकाणन की तारीख से साट दिन की म्रवधि की समाष्ति से महले मापेक्ष और सुझाब मांगे गए थे।

और उक्त राजपत्न 21-12-1990 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था,

आंर जनता से कोई सोक्षेप या सुझाथ प्राप्त नहीं हुए हैं,

धतः धव केन्द्रीय सरकार उक्त ग्राधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रवत्त झक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, मर्थान् :----

# (1) संक्षिप्त नाम, प्रारंभ आंग लागू होना :---1. इन निषमों नाम महापत्तन (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) नियम, 1991 है।

- (2) ये राजपत्न में प्रकाणन की नारीख के प्रवृस होंगे ।
- (3) यह सभी महापत्तनों पर लागू होंगे ।

2. परिभाषाएं.~-६न नियमों में जब तक कि संदर्भ से ग्रम्पथा ग्रपेक्षित न हो :

- (क) ग्रंधिनियम ने भारतीय पत्तन ग्रंधिनियम, 1908 (1908 का का 15) ग्रंभिप्रेत है,
- (ख) "अनुमोदित" से सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित भभिप्रेत है,
- (ग) किसी महापत्तन के संबंध में, "सक्षम प्राधिकारो" से प्राधिनियम की धारा 7 के भधीन नियुक्त संरक्षक या किसी महापत्तन के न्यासी बोर्ड द्वारा नियुक्त किसी महापत्तन का कोई ग्रन्य ग्राधिकारी ग्राभिप्रेन है,
- (घ) "ग्रपमाजक" से सालाना, पेंदों या तेल श्रवशिष्ट वाले किहीं डिक्यों को साफ करने के लिए प्रयुक्त रासायनिक उत्पाद ममित्रेत है,

1 211 GI/91

(1)

- (क) "कूड़ा-कचरा" से प्रभिन्नेत है सभी प्रकार के ऐसे रसव घरेलू और प्रचालनीय व्यवणिष्ट जो किसी पोत के प्रसासान्य प्रचालन के दौरान प्रजनित हुए दें और जिनका ऐसे पदार्थों को छोड़वार जो श्राई.एस.ओ. कन्वोंगन के उपबंध 1 से 4 में परिभाषित या सूचीबद्ध हैं, निरन्तर या कालिकतः व्ययन किया जाता है,
- (च) "ग्राई एम ओ कम्बेंशन" से समय-समय पर यथासंशोधित इन्टरनेशनल मेरीटाइम मार्गेनाइजेशन कन्वेंशन मान प्रिवेंशन घाफ पोल्य्शन वाई शिप्स, 1973मनिप्रेत है,
- (छ) "प्रस्तराष्ट्रीय सुरक्षा मागदर्शन" से समय-समय पर यथासंगो-धित इन्टरनेशनल चैंबर ग्राफ शिपिंग, ग्रायल कम्पनीज इन्टर-नेशनल मेरिन फोरम भ्राफ इन्टरनेशनल एसंसिएशन प्राफ पोईस एण्ड हार्बर्स द्वारा प्रकाशित तेल टैकरों और टॉमनलों के सिए अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा मार्गदर्शन प्रभिन्नेन है,
- (ज) "तेल प्रदूषण के निवारण पर मैन्युन" में अमभ-समय पर यथासंशोधित अन्टरनेणनल मेरीटाइम भार्गेनाइजेशन ढारा प्रकाशित तेल प्रदूषण के निवारण पर मैन्युग्रन, खण्ड । ग्राभि-प्रेत है,
- (हा) "तेल" से किसी भो रूप में पेट्रोलियन (पेट्रो-रमायन से भिभ जी धाई एम ओ कन्वेशन के उपाबंध 11 के उपबंगें के प्रध्यक्षन है) अभिन्नेत है और इनके अन्पर्गन झाई एम ओ इन्वेंगन के उपायंग्र 1 में सूचीवऊ तेल, ईधन, सेन स्तज प्रयुक्त और परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद और पदार्थ है,
- (अ) "तेल मिश्रण" से किसी तेल की मन्तर्वस्तु से कोई मिश्रण ग्राभिप्रेम है,
- (ट) "तेल मिक्स अभिलेख पुस्तक" से किसी जलयान के मास्टर बारा रखी जाने वाली वह पुस्तक अभिप्रेत है जो आई एमओ कन्वेंशन में निदिप्ट है,
- (ठ) "प्रदूषक" के ग्रन्तगेत वाहित मल कूड़ा-कचरा, मिट्टी राख, परथर, गरदगी, व्यर्थ पदार्थ कचरा, रासायनिक या कोई ग्रन्य हातिकारक ग्रथवा ग्रनिष्टकारी पदार्थ है यदि इससे कल की प्रकृति, रंग, गन्ध या पारदर्शिता पर प्रभाव पक्षता हो या इससे जल पर दृश्य प्लगी अंग बनते हों,
- (ड) "प्रदूषित करना" से जहाज पर से किसी तेल या प्रदूषक का निकाम, विसर्जन या उसका फेंकना ग्रभिप्रेत है,
- (ह) ''टेंकर'' से ऐसा जलयान प्रभिप्रेत हैं जिस में स्पोरा रथस का प्रधिक भाग प्रपुज द्रथ स्थोरा के लें जाने के लिए बनाया जाता है या भ्रपनाया जाना है और जो तस्समय प्रपत्ने स्थोरा स्पल के'' उस भाग में तेल को छोड़कर कोई स्थोरा नहीं ले जा रहा है।
- (ण) ''र्टीमनल'' से ऐसा स्थान भभिप्रेस है जहां तेल की लदाई-या उनारने के प्रयोजन के लिए टैंकरों का लंगर डाला जाता है या उन्हे बांधा जाता है,
- (त) "टॉमनल ग्रभ्यर्थी" से वह व्यक्ति ग्रभिप्रेत है जिसे सक्षम प्राधि-कारी ने किसी प्रचालन या ड्रुपूटी के लिए जिम्मेडारी उठाने के लिए इस रूप में पदार्भिहिन किया है,
- (थ) उन एक्वों ओर पदों के जो दर नियमों में प्रयुक्त है किन्तु परिभाषित नहीं है, और जो प्रधिनियम में परिभाषित है, बही प्रर्थ होगे जो उनके प्रधिनियम में हैं।

3. जलयानों का प्रदूषक विभजित न करना:--नियम 11 के उपबंधों के द्यधीन रहते हुए, कोई भी जलयान किसी महापत्तन की सीमाओं के भीतर किसी प्रदूषक को न तो विसजित करेंगा, न फैकेंगा, न रखेंगा, न खाली करेंगा या रिसने देगा झयवा न ही घाट, जेट्टी कम प्रोतघाट में गिराएगा ।

4. जलयानों द्वारा बैलास्ट या तेल मिश्रण विसर्जिन न किया जाना:--1. कोई जलयान किसी महापत्तन की सीमाओं के भीतर कोई बैलास्ट या तेल मिश्रण जिसमें तेल की ग्रन्तवेस्तु प्रति दय लाख 15 भागों से प्रधिक है, विसर्जत नहीं बारेगा,

2. ऐसे किसी बैलास्ट या तेल मिश्रण का, जिसमें तेल की अंतर्वस्तु प्रति दन लाख 15 भागों से घनधिक हो मक्षम प्राधिकारी की लिखित विशेष प्रमुज्ञा से, ऐसे निवन्धतों और मतौं के प्रधीन रखते हुए जैसे प्रमुज्ञा में विनिर्विष्ट किए जाए दिसजित किया जा सकेगा ।

5. सेल और डी बैलास्टिंग की साथ-साथ लवाई :--गहा तेल और डोबेपास्टिंग का लवान साथ-साथ किया जाना हो बहां जलयान का मास्टर इस बात का समाधान करेगा कि लवान पाइग लाइन और बैलास्ट पाइश लाइनों के बीच पूर्ण प्रदूषित है और इस संक्रिया को किसी महापत्तन की सीमाओं के भीतर जल को प्रदूषित किए बिना किया जा रहा है।

6. अपमार्जयक के प्रयोग का प्रतिषिद्ध होता :--- हॉई भी } जलयान पैंदों या तेल के टैंकों को साफ करने के लिए किन्ही अपमार्जक का प्रयोग नहीं करेगा यदि जहाज के ऊपर विमजित की जाने बाली धोजन किसी सहागतम को सीमाओं के भीतर ते बीध जल को प्रलग करने वाले उपस्कर या तेन फिल्टककार्रा उपस्कर ते अन्यथा की जाती है या उस की प्रदूषित करती है।

7. टैक की धोबन को जहाज के ऊपर विर्साजत न किया जाना -----कोई भी जलयान तेल टैक को साफ करने को संक्रियाओं या किसी भी झन्य समय जहाज के ऊपर टैक को धोबन का विसर्जन नहीं करेगा।

8. जलयान द्वारा किसी तेल का विसर्जित न किया जाना :- कोई भी जलयान किसी महापत्तन की सीमाओं के भीतर किसी तेल या किसी भग्य ऐसे व्यस्पन्न का, जिसमें हाइड्रोकार्बन हो, विसर्जन नही करेंगा या उसे निकालने नही देगा ।

9. तेलीय पैदों के जल का विसर्जित न किया जाना :----कोई भी जलयान किसी महापत्तन का सीमाओं के भीतर, सक्षम प्राधिकारी की लिखित धनुज्ञा के बिना, क्षेत्रीय पैदों वाले जल या रसायनों वाले जल के किमी मिश्रण या किसी उपाय कर पदार्थ का विसर्जन नहीं करेगा या उसे निकलने मही देगा ।

10. जलयानो या पूर्वानधानियों का पालन किए बिना लदान मादि न करना :---कोई भी जलयान तेल प्रदूषण निवारण मैन्युमल और मन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा मार्गवर्गन में विनिधिष्ट पूर्वावधानियों का पालन किए बिना, किसी भी सहापत्तन की सीमाओं के भीतर लदान, विसर्जन, परिवहन बेंकर, बेलास्ट या बीबेलास्ट नहीं करेगा ।

12 किसी पत्तन में ठहरने के बौराम तेल स्थोरा पाइपलाइनो के माथ जुड़े समुद्री वाल्वों का मजबूती से बन्द किया जाना :---जलयान का मास्टर यह सुनिश्चित करेंगा कि किसी महापत्तन में जलयान के ठहरने के बौरान, तेल स्थोरा पाइपलाइन से जुड़े था जुड़ने सभी समुद्री वाल्वों मौर जहाज के ऊपर के वाल्व मजबूती में बंद है, बंधे हैं मौर सीलवंद हैं मौर

2

ऐसे किसी वाल्य का उसके ढ़ारा किसी भी प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधि-कारी की पूर्व प्रनुज्ञा के जिमा स्रौर जलयान की तेल भभिलेख पुस्तक में उचित प्रविष्टि किए बिमा प्रचालित नहीं किया जाएगा ।

1.3. जलयात वंकरिंग : कोई भी जलयान क्षेत्रीय बंकरिंग संक्रियामें का मारंभ करने से कम से कमतीन धण्टे पूर्व मॉमप्राप्त सक्षम प्राधिकारी की पूर्व लिखित अनुज्ञा के बिना किसी भी महापत्तन में पाइप लाइन, बजरा टेंकर लारी या किसी भन्य साधन से बंधक नहीं डालेगा।

1.4. रथारा ग्रीर बंकर होज का निरीक्षण ग्रीर प्रयाग : किसी जलयान का मास्टर ग्रीर टर्मिनल ग्रभ्यर्थी, निलकर यह सुनिष्धित करेंगे कि जल-मान से जोड़े जाने वाले स्थोरा श्रीर बंकर हौज अनुमौबित किस्म ग्रीर क्वालिटी के हैं जिस पर उम तारीख को प्रबोग के लिए विधिमान्य परीक्षण प्रमाण पद्र हो तथा मास्टर स्थोरा या बंकर हौज के फट जाने के कारण हुए किसी प्रयूषण के लिए जिस्मेंदार होंगा ।

15. होंज रिपत किया जाना : किसी जलयान से हीजो को हटाने से पूर्व, जलयान का मास्टर यह सुनिश्चित करेंगा कि उनके सिरें ठीक प्रकार से रिक्स कर दिए गए हैं।

16 सुरक्षा जांच सूची : किसी असयान के किसी महापत्तन में प्राग-मन पर, ऐसे जलयान का मास्टर टर्मिनल प्रभ्यर्थी के साथ मिलकर, प्रन्तरांग्ट्रीय मार्गवर्शन के प्रधीन प्रपेक्षित सुरक्षा जांच सूची का पालन करेगा ग्रीर यदि सक्षम शाधकारी का समाधान हो जाता है कि उक्त जांच सूची में उपबंधों का पालन किया गया है, तो वह अलयान के मास्टर को स्थोरा संकियाओं को घारंभ करने की अमुका वे सकेगा ।

17. प्रदूषण जांच सूची : प्रत्येक अलयान तेल प्रदूषण निवारण मैन्युग्रल में थथा विगिधिष्ट प्रदूषण जांच सूची रखेमा भौर ऐसे अलयान का मास्टर यह सुनिस्चित करेगा कि प्रदूषण जांच सूची में विगिधिष्ट प्रक्रिया का हर समय पालन किया जाता है

18. सथूल का भार : यदि कोई तेल या प्रदूषक किसी जलयान के निकट या उसके भासपास पाया जाता है ठा यह साबित करने का भार कि इसका विसर्जन ऐसे जलयान से नहीं हुआ या उसने नहीं होने दिया तथा उस जलयान के मास्टर पर होगा ।

19. मास्टर द्वारा ग्रथिपलावन को भधिसूचित करमा : जलयान का माग्टर ग्रपने जलयान से या किसी ग्रन्थ जलयान से किसी तेल के भधि-प्लावन या संदूधित जल के श्रधिप्लावन के हाने के बारे में यवि उसे ऐसे भधिप्लावन का पंता चल जाता है तो वह सक्षम प्राधिकारी का शोध ग्रथिस्चित करेगा ।

20. तेल कर रात्रि में स्थामान्तरित न किया जाना : तेल कोई भी जलयान, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व खिखित मनुज्ञा के बिना, 6,00 बजे मपराहून से 6.00 पूर्वाहून के बीच तेल का किसी मन्य जलयान का स्थानान्तरण नहीं करेगा या मन्य जलयान से या किसी भी साधन द्वारा समुद्री किनारे की पाइपलाइमों (टर्मिनल के सिथाय) से तेल प्राप्त नहीं करेगा।

22. मास्टर ढारा निरीक्षण करने देना मौर उसमें सहायता देशा : अलयान का मास्टर सजम प्राधिकारी को निरीक्षण करने को मनुबा देगा मौर उसमें सहायता करेगा मौर यह सुनिधिवत करेगा कि जिसके प्रधि-नियम मा उसके मर्थान बनाए गए मियमों ढारा मछिरौषित प्रतिवेध मिलंन्छन या बाध्यता का पालन हो।

23. जलयानों से कूढ़े-कचरे का व्ययन : 1. यदि किसी जलसात में पीत-फ़लक-----पिट सही किसी किया गया है तो ऐसे जलसान कामास्टर यह सुनिश्चिम करेगा कि जलयान के जब वह पत्तन में ठहरे, फलक धर का सारा कूड़ा--कचर ऐसे उके हुए इसों में जिसके कब्जवार बक्कन हो या प्लास्टिक के आधानों में इकट्टा किया ज)ए सौर प्रतिविन प्रहण-सूत्रिधा सट पर ले जाया जाए।

2. जहां ऐसे जलयान में पोत फलक मस्सक फिट हुमा ह, ऐसे जलयान का मास्टर यह सुनिश्चिन करेगा कि न तो कूड़ा कचरा क्लक पर इकट्ठा होता है भीर न ही जलयान के डैक पर इधर-उधर बिखरा पड़ा रहता है।

24. छूट देने की प्रक्तिः ---इस नियमों में किसी बात के होते हुए भी, सक्षम प्राधिकारी मजवावित परिस्थितियों में कौर उन करणों से जिन्हें लेखबढ़ किया जाएगा लिखिस धादेश ढारा भीर ऐसी गर्तो पर, यदि कोंई हा, जैसी वह मधिरोपित करने के लिए उचित समझे, किसी भी पोत को इस नियमों में वितिरिप्ट किसी मपेक्षा से छूड दे सकेगा।

#### (गियम 11 वे खिए)

किसी भी पत्तन पर तेल, मादि विसर्जित करने के सिए सूचनाः— उप संरक्षक,

(पत्तन का नाम) पत्तन स्वास टेलेश्स मेबल टेलिफान नं. .---जसयान (पील का नाम) (धागमन का प्रत्याशित समय) के पील का नाम-----(दिन)------(तारीख) स्थानीय प्रभिकर्ता (धभिकर्ता का नाम), (माझा विनिविध्ट करें) तेशीय बैलास्ट टेक घोबन स्लज अपश्रिप्ट तल कोई अध्य तेल, अर्थात् कच्छा, ईक्षन तेल पट्रीलियम उत्पाद मादि के लिए लंदार्थ वर्ष मरम्मत वर्ष के झानमन पर झनुरोध की ग्रहण सुविधा ।

> [पी.मार.-16012(1) 86-पी.जी.] मणोक जोगी, संयुक्त सचिव

# MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (Ports Wing)

# NOTIFICATION

## New Delhi, the 1st May, 1991

G.S.R. 250(E).—Whereas the draft of the Major Port (Prevention and Control of Pollution) Rules, 1990 was published as required by sub-section (2) of section 6 of the Indian Ports Act, 1908 with the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport No. G.S.R. 995(E) dated 21st December, 1990 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of sixty days from the date on which copies of the said notification as published in the Gazette of India are made available to the public;

And whereas copies of the said notification were made available to the public on 21st December, 1990;

And whereas no objections or suggestions were received from the public;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules, namely:---

1. Short title, Commencement and application. (1) These rules may be called the Major Ports (Prevention and Control of Pollution) Rules, 1991,

.

\_\_\_\_ .\_\_.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Ollicial Gazette.

(3) They shall apply to all Major Ports.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,

- (a) "Act" means the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908);
- (b) "approved" means approved by the competent authority;
- (c) "competent authority" in relation to a major Port means the conservator appointed under section 7 of the Act or any other officer of a major Port appointed by the Board of Trustees of a Major Port;
- (d) "garbage" means all kinds of victual domestic and operational waste, generated during the normal operation of a ship and liable to be disposed of continuously or periodically except those substances which are defined or listed in Annexures 1 to 1V to the IMO Convention;
- (e) "detergent" means any chemical product used for cleaning tanks, bilges or any compartments containing oil residue;
- (f) "IMO Convention" means the International Maritime Organisation on prevention of Pollution by Ships 1973 as amended from time to time;
- (g) "International Safety Guide" means the International Safety Guide for oil Tankers and Terminals published by the International Chamber of Shipping, Oil Companies International Matine Form and International Association of Ports and Harbours, as amended from time to time.
- (h) "Manual on Prevention of Oil Pollution" means the manual on Prevention of Oil Pollution section I published by the International Maritime Organisation, as amended from time to time;
- (i) "Oil mixture" means a mixture with any oil content;
- (j) "Oil record book" means the book to be maintained by the master of a vessel, which shall be as set out in the IMO Convention;
- (k) "Pollutant" includes sewage, garbage, earth, ashes, stones, rubbish, waste material, refuse, chemicals or any other harmful or novious substance if it affects the nature, colour, smell or transparency of the water or if it forms visible floating fractions on water;
- (1) "Polluting" means escape, discharge or throwing everboard of any oil or pollutant;
- (m) "Tanker" means a vessel in which greater part of the cargo space is constructed or adopted for the carriage of liquid cargos in bulk and which is not for the time being,

carrying a cargo other than oil in that part of its cargo space;

- (n) "Terminal representative" means the person designated as such by the competent authority to take responsibility for an operation or duty;
- (o) "terminal" means a place where tanker are berthed as moored for purpose of loading or discharging oil;
- (p) words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act, shall have the meanings assigned to them in the Act.

3. Vessels not to discharge any pollution.—Subject to the provisions of rule 11, no vessel shall discharge, throw, place, empty or allow to leak or flow or to fall to quay, jetty or pier or within the limits of a major Port any Pollutant.

4. Vessels not to discharge ballast or oil mixture...... (1) No vessel shall discharge within the limits of a major Port any ballast or oil mixture the oil contents of which exceeds 15 parts per million.

(2) Any ballast or oil mixture the oil contents of which does not exceed 15 parts per million may be discharged with special permission in writting of the competent authority, subject to such terms and conditions as may be specified in the permit.

5. Simultaneous loading of oil and deballasting.— Where simultaneous loading of oil and deballasting are to be carried out the master of the vessel shall satisfy that there is an efficient separation between the loading pipeline and the operation is conducted without polluting any waters within the limits of a Major Port.

6. Use of detergent prohibited.—No vessels shall use any detergents to clean bilges or oil tanks if the washings to be discharged overboard is otherwise than through an oily water separating equipment or an oil filtering equipment of polluts the water within the limits of a Major Port.

7. Tank washings not to be discharged overboard.—No vessel shall during oil tank cleaning operations or any other time, discharge tank washings directly over board.

8. Vessel not to discharge any oil.—No vessel shall discharge or allow to cscape any oil or any other derivative containing hydrocarbons within limits of a major port.

9. Oily bilge water not to be discharged.—No vessel shall discharge or allow to escape with out written permission of the competent authority, oily bilge water or any mixture of bilge water with chemicals or any noxious substance within limits of a major port.

10. Vessel not to load etc. without observing precautions.—No vessel shall load discharge transport, bunker ballast or deballast within limits of a major port without observing the precautions specified in the manual on Prevention of Oil Pollution and the International Safety Guide.

11. Notice for discharging oil, etc. at any major port.—Where a vessel has any oil, water or any

pollutant to be discharged at any major port it shall give notice of at least twenty four hours in the form annexed to these rules to the competent authority requesting him to arrange appropriate reception facilities.

12. Sea Valves connected with oil cargo pipe lines to be tightly closed during the stay in port.—The master of a vessel shall ensure that all sea valves and overboard valves connected or capable of being connected to the oil cargo pipeline are tightly closed. lashed and sealed during the stay of the vessel in a major port and no such valves shall be operated for any purpose by him without the prior permission of the competent authority and making proper entry in the oil record book of the vessel.

13. Vessel bunkering.—No vessel shall bunker in a major port by pipelines barges, tanker lorries or by any other means without the prior written permission of the competent authority obtained atleast three hours before initiating bunkering operation.

14. Inspection and use of cargo and bunker hoses.— The master of a vessel and the terminal representative shall jointly ensure that the cargo and bunker hose to be connected to the vessel are of approved type and quality having valid test certificate for use on date and the master shall be responsible for any pollution caused due to bursting of cargo bunker hose.

15. Hoses to be blanked.—Before hoses are removed from any vessel, the master of the vessel shall ensure that the ends thereof are properly blanked.

16. Safety Check Li t.—On arrival of a vessel in a major port, the master of such vessel shall comply, jointly with the terminal representative with the safety check list required under the International Safety Guide and the competent authority shall, if he is satisfied that the provisions of the said check list have been complied with permit the master of the vessel to commence cargo operation.

17. Pollution Check Lists.—Every vessel shall maintain a pollution check list as specified in the Manual on Prevention of Oil Pollution and the master of such vessel shall ensure that the procedure specified in the pollution check list are complied with at all times.

18. Onus of Proof.---If any oil or pollutant is found floating near or around a vessel the onus of proving that it was not discharged or allowed to escape from such vessel shall be on the Master of the vessel.

19. Master to notify spillage.—The master of a vessel shall notify the competent authority immediately the occurrence of any oil spillage or contaminated water spillage from his own vessel or from any other vessel, if such spillage comes to his notice.

20. Oil not to be transferred during night.—No vessel shall between 6.00 p.m. and 6.00 a.m. transfer oil to another vessel or receive oil from another vessel or from shore pipelines (except at terminals) by any means without prior permission in writing of the competent authority.

21. Verification or inspection of documents.—The master of a vessel shall make available on demand to the competent authority all documents required to be maintained or kept on board by JMO Convention or by the Merchant Shipping Act 1958 (44 of 1958) for verification or inspection.

22. Master to allow and to assist inspection.—The master of a vessel shall allow on board and assist the competent authority to inspect and ensure that the prohibition restriction or obligation imposed by any Act or rules made thereunder are complied with.

23. Disposal of garbage from vessels.—(1) If any vessel is not fitted with ship-board incinerator the master of such vessel shall ensure that all garbage on board the vessel are collected in covered drums with hinged lids or plastic containers and removed ashore to the reception facility every day while it remains in the port.

(2) Where such vessel is fitted with shipboard incinerator the master of such vessel shall ensure that garbage is neither accumulated on board nor kept lying loose on the decks of the vessel.

24. Power to exempt.—Notwithstanding anything contained in these rules, the competent authority may in exceptional circumstances and for reasons to be recorded in writing by order in writting and upon such conditions, if any, as it may think fit to impose, except any ship from any requirements specified in these rules.

# FORM

### (See Rule 11)

Notice for Discharging oil etc. at any Port :

The Deputy Conservator

(Name of the Port) Port Trust

Telex Cable Telephone Number.

Vessel (Name of the ship) (Expected time of arrival) (name of the Port) on (Day) the Date Local Agents (Name of the Agents) Request Reception Facility on arrival at Loading berth|repair berth for (Specify the quantity) Oily ballast|tank washings| sludge|waste oil|any other oil e.g. crude, fuel oil, petroleum products ctc,

> [PR-16012]1|86-PG] ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1991